

## प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 08.05.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना रूरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 954/24 धारा 144(3) बीएनएसएस से सम्बन्धित अभियुक्त गोविन्द पाल पुत्र रामबाबू निवासी दम्पूरवा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात (वारण्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रनियां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 67/26 धारा 105/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त अरविन्द पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम आँट पोस्ट रैपालपुर थाना रनियां जनपद कानपुर देहात (वाँछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1040/17 धारा 60 आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त प्रेम पुत्र रामचरन निवासी दलेलनगर पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात (वारण्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सट्टी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 69/21 धारा 363/366/376 भादवि0 व 5/6 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त जगदीश पुत्र स्वर्गीय वृंदावन निवासी गिरधरपुर थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात (वारण्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना राजपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 52/26 धारा 309(4)/317(2)/317(4) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त मुकुल पाण्डेय पुत्र सर्वेश कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम कौरू जलालपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात (वाँछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना राजपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 54/26 धारा 35(1) बीएनएसएस व 317(2)/317(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त संजीव दुबे उर्फ मोहित दुबे उर्फ संजीत दुबे पुत्र स्व0 सुरेश दुबे उर्फ हरिनारायण उर्फ पप्पू दही वाले निवासी ओम नगर थाना कोतवाली जनपद औरैया (वाँछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 18 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना गजनेर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रनियां पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना देवराहट पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों व थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।